

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक :

विषय: डा0 राम कुमार प्रसाद, सेवानिवृत्त असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा का लंबित पेंशन एवं उपदान की स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि डा0 राम कुमार प्रसाद, सेवानिवृत्त असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के कारण विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 490(3) दिनांक 04.09.2024 द्वारा 90% औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति दी गयी थी।

2. विभागीय अधिसूचना सं0 258(9) दिनांक 02.03.2026 के द्वारा डा0 राम कुमार प्रसाद, सेवानिवृत्त असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि से 05% पेंशन की राशि दो वर्षों तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

3. अतः वर्णित स्थिति में डा0 राम कुमार प्रसाद, सेवानिवृत्त असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा का सेवानिवृत्ति की तिथि से 02 वर्षों तक 95% पेंशन (दिनांक 01.06.2024 से 31.05.2026 तक) तथा दिनांक 31.05.2026 के पश्चात 100% पेंशन एवं पूर्ण उपदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,
ह0 / -

ज्ञापांक:

659(3)

/ स्वा0, पटना, दिनांक

(रेणु कुमारी)

22/7/26

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

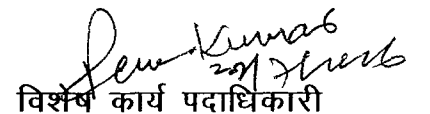
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा0 राम कुमार प्रसाद, सेवानिवृत्त असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा, पत्राचार का पता-कचहरी रोड, गर्ल्स स्कूल के पास, डाकघर-बिहारशरीफ, थाना-नगर, जिला-नालंदा, पिन-803101, मो0नं0-9905024647 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय पी०एम०यू०लिड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी

Panc